झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–28/CS/Res, दिनांक–04.06.2020 के अनुसार Containment Zone के बाहर "Movement of individuals into the state by private vehicles/taxi shall continue to require E entry pass. There shall be no requirement of E pass for any other movement of individuals within the state or for leaving the state." इस क्रम में सभी वाहन मालिक/चालक को सूचित किया जाता है कि निजी वाहन/टैक्सी को झारखण्ड राज्य के अंदर आवागमन हेतु एवं राज्य से बाहर जाने हेतु E pass की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु राज्य में प्रवेश करने के लिए E entry pass की आवश्यकता जारी रहेगी। वाहनों के परिचालन हेतु निम्नलिखित शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

1. निजी वाहन/टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
2. निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा।
3. 5 सीटर निजी वाहन/टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6–7 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।
4. बैठने के समय यात्रियों को Social Distancing का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
5. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
6. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
7. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उन्हें On रखे।
8. टैक्सी परिचालन के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश सं०–1046, दिनांक–19.05.2020 लागू रहेंगे।
9. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मेनुअल रिक्शा के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश सं०–1204, दिनांक–01.06.2020 लागू रहेंगे।
10. पैसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

सभी यात्रियों/ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा चालकों/टैक्सी/निजी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्यरूपेण करना सुनिश्चित करें।

4/6/2020

सचिव,

परिवहन विभाग।